

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

वाणिज्य कर, उ०प्र० ।

समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उ०प्र० ।

विषय:- डीमड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीमड कर निर्धारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-4(1)परिपत्र भाग-3(2012-13)-289/1213014/वाणिज्य कर दिनांक 22.05.2012 द्वारा पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं । इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु Central VYAS Server पर की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत होगी :-

1- प्रत्येक वर्ष जिन व्यापारियों द्वारा अपनी खरीद बिक्री के वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) कार्यालय में दाखिल किये गये हैं उनकी सूची सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के login पर उपलब्ध होगी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सूची में ऐसे व्यापारियों, जिन्हें अधिनियम की धारा 28(1) में उल्लिखित विभिन्न कारणों से डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया है, को चिन्हांकित (tick) कर दिया जायेगा ।

2- जिन व्यापारियों को डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये जाने के कारण उन्हें उपरोक्तानुसार सर्वर पर उपलब्ध सूची में tick कर दिया गया है, उनके मामलों में तदुपरान्त उन कारणों से सम्बन्धित Boxes को भी Tick किया जायेगा जिनके कारण वह डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिये गये हैं । उक्त कारणों को Tick किये जाने से सम्बन्धित Boxes निम्नवत है :-

- 01 Form-26 has not been submitted in time
- 02 Shortcoming of Form-26 not removed
- 03 One or more monthly/quarterly returns not submitted
- 04 Provisional assessment done in respect of one or more months/quarters on the basis of best judgment .
- 05 The turnover & Tax declared in form-26 is not worthy of credence
- 06 The Dealer has prevented/obstructed in survey/inspection of business premises
- 07 Dealer selected for a Tax Audit

यदि किसी व्यापारी को उपरोक्त कारणों में से एक से अधिक कारणों से डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किया गया है तो ऐसे मामलों में ऐसे समस्त बाक्स tick किए जायेंगे ।

3- डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये व्यापारियों का उपरोक्तानुसार चिन्हांकन एक बार में (In one session) अथवा अनेक बार (In several sessions) में किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक बार सम्बन्धित पेज को Save करना आवश्यक होगा ।

4- यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि वार्षिक रिटर्न (फार्म-26) दाखिल करने वाले किसी व्यापारी का नाम सर्वर पर प्रदर्शित सूची में नहीं आ रहा है (रसीद others या कियी अन्य मद में कटी होने के

कारण) तो कर निर्धारण अधिकारी स्वयं सम्बन्धित रसीद को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से सम्बन्धित रसीदों की सूची में Transfer करने हेतु सक्षम होंगे ।

5- कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 के मामलों में उक्त कार्यवाही दिनांक 30.06.2010 तक पूरी कर ली जायेगी । आगे के वर्षों के लिये यह कार्यवाही डीमड कर निर्धारण की अन्तिम तिथि तक नियमित रूप से की जाती रहेगी परन्तु डीमड कर निर्धारण की अन्तिम तिथि के पश्चात व्यापारियों को चिन्हांकित करने की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । उदाहरणार्थ- वर्ष 2010-11 के मामले में चिन्हांकन की कार्यवाही 31.03.2013 तक ही की जा सकेगी । अतः यह भली-भँति सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई भी व्यापारी जिसे डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, संगत वर्ष के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक सूची में चिन्हांकित होने से न रह जाये ।

6- चिन्हांकन के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित तथा इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित हो जायेगी । यह सूची Open Login पर रहेगी जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकेगा ।

7- वेबसाइट पर उन व्यापारियों की भी सूची प्रकाशित होगी जिनके द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किये गये हैं एवं परिणाम स्वरूप डीमड कर निर्धारण की श्रेणी से स्वतः बाहर हो गये हैं ।

8- वेबसाइट पर डीमड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची में प्रकाशित होने के साथ-साथ व्यापारी को इसकी सूचना स्वतः SMS व ई-मेल के माध्यम से सर्वर से जनरेट होकर चली जायेगी यदि व्यापारी का मोबाइल नम्बर व ई-मेल पता विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध है ।

कृपया उक्त आदेशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसका कड़ाई से अनुपालन करायें ।

(हिमांशु कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ ।
- 2- एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 3- एडीशनल कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ ।

(एम0 के0 सिंह)
ज्वाइन्ट कमिशनर (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।